संचिका सं०-01/दि०स०नि०-दि०यो०-12/2018 स.क.

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय)

दिनांक-30.10.2019 को SSUPSW (सक्षम) के कार्यालय कक्ष में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना के अध्यक्षता में दिव्यांगजनों हेतु कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण तथा अतिविशिष्ट आधुनिक सहायक उपकरण के क्रय एवं विशेष उपकरणों के वितरण हेतु क्रय समिति तथा राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही

<u>उपस्थिति संचिका में संधारित</u>

1. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना।
2. संयुक्त सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
3. संयुक्त निदेशक (मु०), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
4. राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना।
5. अपर राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना।
6. सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना।

आज दिनांक-30 अक्टूबर 2019 को SSUPSW (सक्षम) के कार्यालय कक्ष में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना के अध्यक्षता में दिव्यांगजनों हेतु कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण तथा अतिविशिष्ट आधुनिक सहायक उपकरण के क्रय एवं वितरण हेतु क्रय समिति तथा राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना के साथ बैठक प्रारंभ की गयी। सर्वप्रथम आहूत बैठक में आगत सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक के दो मुख्य एजेंडा निम्न है:-

(क) एलिमको कानपुर से क्रय कर वितरण किये जाने वाले कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण तथा अतिविशिष्ट आधुनिक सहायक उपकरण।

(ख) अन्य अतिविशिष्ट मामलों में एलिमको के अतिरिक्त अन्य एजेंसी से क्रय कर वितरण किये जाने वाले अतिविशिष्ट आधुनिक कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण।

बैठक के प्रारंभ में राज्य आयुक्त नि:शक्तता ने सभी उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया कि अपर मुख्य सचिव के कार्यालय कक्ष में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के समक्ष उन्हें यह बताया गया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना का संलेख पारित है। विभागीय अधिसूचना सं०-5722 दिनांक-27.11.2017 द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना के संचालन की स्वीकृति प्राप्त है । इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना सम्बल के तहत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किये जाने का प्रावधान है। अतः पूर्व में इससे संबंधित किये गये प्रावधान को दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना Override करती है। तथा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुरूप ही कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण तथा अतिविशिष्ट आधुनिक सहायक उपकरण का क्रय एवं वितरण प्रस्तावित होगा।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उपरोक्त दोनों एजेंडों पर चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया तथा सर्व सहमति से निम्न निर्णय लिए गये।

एजेंडा (क) एलिमको कानपुर से क्रय कर वितरण किये जाने वाले कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण तथा अतिविशिष्ट आधुनिक सहायक उपकरण के संदर्भ में समिति द्वारा विचार विमर्श हुआ। अपर मुख्य सचिव, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय एवं राज्य आयुक्त नि:शक्तता के बैठक में अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया है कि एलिमको से क्रय

करने में कोई बाधा नहीं है और किसी भी प्रकार का उपकरण देने में प्रतिबन्ध नहीं है। साथ ही अपर मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना राज्य में लागू है, जिसके परिपेक्ष्य में एलिमको कानपुर को आदेश दिया जा सकता है। बैठक में सदस्यों द्वारा विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना में किये गये प्रावधान ही मान्य होगें तथा ऐसे विशेष एवं आधुनिक सहायक उपकरण जो एलिमको कानपुर में उपलब्ध है उसका क्रय हेतु आदेश निर्गत किये जाने की अनुशंसा की जाती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 03 दिसम्बर, 2019 के अवसर पर एलिमको से क्रय किये जाने वाले सहायक उपकरणों का लाभार्थियों के बीच वितरण किये जाने की अनुशसा भी की गई।

एजेंडा (ख) अन्य अतिविशिष्ट मामलों में एलिमको के अतिरिक्त अन्य एजेंसी से क्रय कर वितरण किये जाने वाले अतिविशिष्ट आधुनिक कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण क्रय के संबंध में क्रय समिति के समक्ष राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा बताया गया कि अपर मुख्य सचिव, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय एवं राज्य आयुक्त नि:शक्तता के बीच बैठक के क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि विभागीय अधिसूचना सं०-5722 दिनांक-27.11.2017 द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना राज्य में लागू है। जिसकी कंडिका-6.1 उप कंडिका-ii अंतर्गत "अतिविशिष्ट मामलों में अनुदान बहुदिव्यांगजन एवं नयायादेश से आच्छादित सभी मामलों में देय होगा एवं इसमें आय, आयु आदि की सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा" का उल्लेख है। राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा बताया गया की अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया है कि उक्त कंडिका को देखते हुए क्रय समिति एक मार्गदर्शिका तय कर ले । तदनुसार समिति निम्न मार्गदर्शिका तैयार करती है।

लाभार्थियों की पात्रता :-

1. राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण, रजत एवं कास्य पदक विजेता दिव्यांगजन खिलाड़ी।
2. शिक्षा, संगीत, कला, संस्कृति एवं शिल्प के क्षेत्र में अतिविशिष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजन ।
3. एक ही परिवार में एक से अधिक दिव्यांगजन अथवा बहुदिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति अतिविशिष्ट मामले के अंतर्गत विचारणीय होगा।
4. विशेष अतिविशिष्ट दिव्यांगता से मामले जिसे समिति उचित समझे।
5. नयायादेश से आच्छादित सभी मामले।

आवेदन की प्रक्रिया :-

1. जिला में प्राप्त आवेदन- दिव्यांग व्यक्ति द्वारा अतिविशिष्ट अथवा आधुनिक सहायक उपकरण (जो आवश्यकतानुरूप हो) का जिलों में प्राप्त आवेदन को स्क्रीनिंग समिति की समीक्षोपरान्त सभी साक्ष्य सहित राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना को हस्तांतरित की जायेगी।
2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना एवं कैम्प में प्राप्त आवेदन के समीक्षोपरान्त साक्ष्य सहित राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना को हस्तांतरित की जायेगी। साथ ही राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा आयोजित कैम्प (चलन्त न्यायालय) में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा की जायेगी।

3. <u>दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा-38 (1) के अनुरूप</u> यदि कोई विशेष उपकरण देय हो तो इन सभी प्रकार के आवेदन को समीक्षोपरान्त साक्ष्य सहित राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना को हस्तांतरित की जायेगी। साथ ही <u>दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा-38 (1) के अनुसार अधिसुचित सक्षम प्राधिकार को यह लगता</u> है कि बच्चे एवं व्यक्ति को जीवन निर्वाह हेतु किसी विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता है तो समीक्षोपरांत राज्य आयुक्त नि:शक्तता निदेशालय को उपलब्ध करायेगें।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय को प्राप्त सभी आवेदनों के समीक्षोपरान्त राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना द्वारा निदेशालय को हस्तांतरित की जायेगी। निदेशालय द्वारा राज्य आयुक्त नि:शक्तता से प्राप्त सभी आवेदनों को क्रय विभाग स्तर पर गठित क्रय समिति के सभी सदस्यों के समक्ष अनुमोदन की प्रक्रिया हेतु उपस्थापित की जायेगी । क्रय समिति की वर्ष में 4 बैठक आहुत की जायेगी। अर्थात प्रत्येक तीन माह में निदेशालय द्वारा क्रय समिति की बैठक बुलाई जायेगी।

नोट:- <u>अतिविशिष्ट अथवा आधुनिक सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग लाभार्थियों को देने के संदर्भ में क्रय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार दिव्यांगता प्रक्षेत्र के विशेषज्ञ एवं चिकित्सा पदाधिकारी से सुझाव / परामर्श प्राप्त किया जायेगा ।</u>

आवेदन के साथ देय कागजात :-

(क) आवासीय प्रमाण-पत्र
(ख) दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
(ग) आधार संख्या
(घ) पासपोर्ट साईज फोटो
(ङ) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र
(च) आयु संबंधी प्रमाण-पत्र / साक्ष्य

नोट :- (1) भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र यथा-मतदाता पहचान पत्र/ विद्यालय पहचान पत्र/ राशन कार्ड / ड्राईविंग लाईसेंस / आधार / पैन कार्ड / पासपोर्ट इत्यादि अथवा किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय एवं आयु से संबंधित प्रमाण-पत्र मान्य होंगे ।
(2) अतिविशिष्ट मामलों में शामिल होने संबंधी साक्ष्य ।

<u>एलिमको के अतिरिक्त किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से विशेष अथवा अतिविशिष्ट आधुनिक सहायक उपकरणों के क्रय हेतु प्रक्रिया:-</u> विशेष अथवा अतिविशिष्ट आधुनिक सहायक उपकरणों का क्रय किसी भी परिस्थिति में लाभार्थी द्वारा ही किया जायेगा । कोई भी आवेदनकर्ता अपने लिए सुयोग्य उपकरण चयन कर सकता है।

किसी भी विशिष्ट परिस्थिति में लाभार्थी की अतिविशिष्टता का आकलन उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की सत्यता के जॉचोपरानत राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा की जायेगी तथा विभाग स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति दी जाएगी तथा स्वीकृत आवेदन के आलोक में लाभार्थी को उपकरण का कोटेशन अथवा Performa Invoice प्रस्तुत करने हेतु निदेश दिया जाएगा । देश में उपलब्ध किसी भी एजेंसी से उपकरण क्रय हेतु कोटेशन अथवा Performa Invoice प्रस्तुत किया जा सकता है।

देय राशि- मुख्यालय स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा एलिमको के अतिरिक्त सहायक उपकरणों के क्रय हेतु लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत उपकरणों का कोटेशन अथवा Performa Invoice अंतर्गत Tentative Cost का आकलन करते हुए दर निर्धारित कर अनुमोदित (Approve) किया जाएगा। यह राशि 75:25 के अनुपात में देय होगी, अर्थात विपत्र की राशि का 75% भुगतान सरकार द्वारा तथा शेष 25% का भुगतान स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया उपकरण का कोटेशन अथवा Performa Invoice एवं क्रय समिति द्वारा निर्धारित Estimated Cost में जो न्यूनतम होगी, उसका 75% राशि का भुगतान Supplier को किये जाने तथा शेष बची राशि का भुगतान स्वयं लाभार्थी द्वारा किये जाने हेतु क्रय समिति द्वारा स्वीकृति दी जाएगी ।

यदि विपत्र की राशि अनुमोदित (Approve) राशि से अधिक होगा तो अनुमोदित दर का 75% से अधिक शेष बची राशि का भुगतान स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। विपत्र की राशि अनुमोदित (Approve) राशि से कम होने की स्थिति में सरकार द्वारा विपत्र की ही राशि का 75% राशि भुगतान किया जाएगा तथा शेष 25% का भुगतान स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।

निदेशालय स्तर से दो पत्र निर्गत किये जाऐंगे -

पहला पत्र आवेदक को – इसमें आवेदक को उपकरण की लागत का लाभार्थी अंशदान राशि का भुगतान Supplier को किये जाने हेतु निदेश अंकित होगा जिसकी प्रतिलिपि Supplier, विभाग, राज्य आयुक्त निशक्तता, संबंधित जिला पदाधिकारी तथा संबंधित जिला के सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को प्रेषित की जाएगा, तथा

दूसरा पत्र Supplier को - इसमें निदेशालय द्वारा 75% राशि का भुगतान किये जाने हेतु Supplier को निदेशालय द्वारा Letter of commitment दिया जाएगा, जिसकी प्रतिलिपि आवेदक, विभाग, राज्य आयुक्त निशक्तता, संबंधित जिला पदाधिकारी तथा संबंधित जिला के सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को प्रेषित की जाएगा।

लाभार्थी द्वारा लाभार्थी अंशदान राशि का भुगतान Supplier के बैंक खाता में किये जाने के पश्चात उपकरण का क्रय किया जायेगा । साथ ही Supplier को निदेशालय द्वारा Letter of commitment दिया जाएगा, जिसमें उपकरण के क्रय किये जाने की अनुमति होगी ।

स्वीकृति के पश्चात लाभार्थी द्वारा उपकरण का क्रय Supplier के बैंक खाता में लाभार्थी अंशदान की राशि का भुगतान कर किया जायेगा ।

निदेशालय द्वारा Supplier को Letter of commitment दिया जाएगा, जिसमें Supplier को उपकरण के क्रय समिति द्वारा अनुमोदित (Approve) राशि का 75% की राशि के भुगतान हेतु स्वीकृतादेश संलग्न होगी एवं सूचना संबंधित जिला के सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को दी जायेगी । साथ ही स्वीकृतादेश के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा उपकरण के लागत की लाभार्थी अंशदान की राशि का भुगतान Supplier के बैंक खाते में किये जाने का आदेश होगा। लाभार्थी द्वारा Supplier के बैंक खाते में लाभार्थी अंशदान की राशि का भुगतान किया जाएगा। लाभार्थी एवं Supplier द्वारा क्रमशः उक्त राशि के भुगतान एवं प्राप्ति के संबंध में सूचना निदेशालय एवं जिला को दी जाएगी । Supplier द्वारा उपकरण की आपूर्ति लाभार्थी को की जाएगी । लाभार्थी द्वारा क्रय किये गये उपकरण का सत्यापन उपकरण की प्राप्ति तिथि के 07 दिनों के अंदर संबंधित जिला के सहायक निदेशक, जिला

दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग से करायी जाएगी । सत्यापन के उपरांत संबंधित जिला के सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय को शीघ्र सूचित किया जाएगा । इसके उपरांत ही क्रय किये गये उपकरण की शेष 75% राशि निदेशालय द्वारा संबंधित जिला के सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को राशि उपलब्ध करायी जायेगी तथा जिला द्वारा Supplier के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी ।

विशेष अथवा आधुनिक सहायक उपकरण विशिष्टता के अनुरूप Supplier द्वारा लाभार्थी को उपलब्ध करायी जाएगी तथा उपकरण प्राप्ति के समय लाभार्थी को स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा। उपकरण की विशिष्टिता एवं गुणवत्ता से संबंधित संपूर्ण जवाबदेही Supplier एवं लाभार्थी की होगी । इसके लिए न तो सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग एवं ना ही निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय एवं मुख्यालय स्तर पर गठित क्रय समिति की जवाबदेही होगी ।

किसी विशेष अथवा आधुनिक सहायक उपकरण की प्राप्ति लाभार्थी द्वारा अन्य स्त्रोत से किये जाने अथवा Duplication का मामला सामने आने पर इसकी जांच किये जाने हेतु विभाग स्वयं सक्षम होगा एवं नियमानुसार उचित कार्रवाई करेगा ।

<u>आवेदक को किसी भी परिस्थिति में कोई राशि देय नहीं होगा।</u>

अंत में आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा सुझाव दिया गया कि वित्तीय नियमावली का पालन करते हुए क्रय की प्रक्रिया करने के पूर्व उसकी गुणवत्ता एवं विशिष्टिता तथा मूल की परख के उपरांत ही उपकरणों का क्रय किया जाएगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी ।

30/10/2019
सहायक निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण
निदेशालय, बिहार, पटना।

30/10/19
अपर राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

30.10.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार,
पटना।

30/10/19
संयुक्त निदेशक (मु०),
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

30/10/19
संयुक्त सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय
सलाहकार,
समाज कल्याण विभाग, बिहार,
पटना।

30/10/19
निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण
निदेशालय, बिहार, पटना।